उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग–1 (उच्च न्यायालय)
संख्याःसा0–847 / सात–न्याय–1–18–43(प्र) / 1999
लखनऊः दिनांक ०) जून, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख का अंकित तिथि से उनके अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम / पदनाम	15 प्रतिशत की दर से अनुमन्य प्रशिक्षण भत्ता की तिथि
1–	श्री अनिल कुमार ओझा, निदेशक	दिनांक 11–10–2017
2–	श्री अनूप कुमार गोयल, अपर निदेशक,	दिनांक 6–11–2017
3–	श्री राम नगीना यादव, अपर निदेशक, प्रशिक्षण	दिनांक 9–5–18
4–	श्री राजीव महेश्वर, अपर निदेशक, प्रशासन	दिनांक 25–4–18
5–	श्रीमती नीलाजना, उप निदेशक	दिनांक 25–4–18

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारी यह प्रशिक्षण 06 माह के अन्दर डी0टी0एस0 / डी0आ0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के बाद विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3– उक्त प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी लखनऊ अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होगा।

4– उक्त आदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–24 / 8–76–का0–प्र0स0को0 / 1999, दिनांक 12–5–1999, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21–8–1999 एवं सम– संख्यक शासनादेश दिनांक 23–12–02 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

डा0 राजेश सिंह
विशेष सचिव।

Ms. Banti
04.09.18

This serial is only for information. May file
04/09/18 R.O.
04.09.18 AR.

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.08 10:33:25 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad